एक नजर में

आबकारी विभाग झाबुआ की बड़ी कार्रवाई, ग्राम दोतड से 56 हजार रुपये से अधिक की अवैध शराब जब्त की

झाबुआ. जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं संजय तिवारी उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के परिपालन में मदिरा संग्रहण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध *बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ* के निर्देशन में शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर आबकारी *वृत्त झाबुआ %ब%* के ग्राम दोतड़ तहसील राणापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान सालेडा फलिया में *भारत पिता खुमानसिंह परमार* के रिहायशी मकान एवं किराना दुकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन 05 पेटी ,बैगपाइपर विस्की 02 पेटी, रॉयल स्टैग विस्की 01 पेटी ,गोवा विस्की 01 पेटी , देशी मदिरा प्लेन 01 पेटी एवं 30 पांव रॉयल सेलेक्ट जिन इस प्रकार कुल 10 पेटी एवं 30 नग पाव (*कुल- 108.96 बल्क लीटर*) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी भारत सिंह पिता खुमानसिंह परमार के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया उक्त कार्रवाई नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 56074/- है। उक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी स्टाफ मदन राठौड, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, , पुष्पा बारिया, एवं वाहन चालक दीपक भूरिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।?

बाल विवाह मुक्त भारत अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम

झाबुआ. कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम

अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री राधूसिंह बघेल के मार्गदर्शन में देव उठनी एकादशी पर बाल विवाह रोकने के संबंध में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनान्तर्गत एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किये जा रहे है। इसी क्रम में 31 अक्टूबर 2025 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय (बुनियादी) झाबुआ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर झाबुआ की प्रशासिका लीला परमार ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह किया जाता हैं तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। अधिनियम अंतर्गत बाल विवाह करना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर दो वर्ष का कठिन कारावास एवं 1 लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डित करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि यदि कही बाल विवाह संपादित होता है तो इसकी सूचना हेल्पलाईन नम्बर 181 एवं चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 1098 पर दर्ज करा सकते है। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों द्वारा बाल विवाह रोकथाम संबंधी शपथ ली गई। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य सिसिल्या मावी, शिक्षिका राधा भूरिया, शशिकला त्रिवेदी, आशा मचार, भारती गिदवानी सहित बालक-बालिकाएं उपस्थित रहे।

कलेक्टर द्वारा नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली दवाओं की नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की बैठक ली

झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा नारकोटिक्स एवं अन्य नशीली

दवाओं की नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु नारकोटिक्स कोआर्डिनेशन की बैठक ली गई। बैठक में नशे के आदि व्यक्तियों को नशे की लत से छुटकारा दिलाए जाने के लिए जिले में नशीली दवाइयों/पदार्थों के सेवन से शारीरिक बीमारियों-दुष्प्रभावों के संबंध में जिले में व्यापक रूप से जनजागरुकता गतिविधियाँ चलाए जाने के निर्देश दिये गए।

कलेक्टर ने बैठक में निर्देशित किया कि ड्रग इंस्पेक्टर एवं पुलिस यह सुनिश्चित करें की जिले में शेड्यूल एक्स सम्बन्धी मेडिसिन की गहन जाँच हो। बिना प्रिस्क्रिप्शन के यह दवाईयाँ ना बेची जाए साथ ही स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर मेन्टेन किया जाए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बैठक में अवगत कराया कि विभिन्न कार्यवाही के तहत 4 लाइसेन्स कैंसिल एवं 11 सस्पेन्ड किये गये है। कलेक्टर ने कहा कि संयुक्त दल के माध्यम से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों की जांच की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि शैक्षणिक संस्थानों के नजदीक किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री ना की जाए। समस्त शालाओ के आस पास कही पर भी कोई मादक पदार्थ नहीं पाया जाना चाहिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बीएस बघेल, एसडीओपी झाबुआ श्रीमती रूपरेखा यादव, जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर एस बामनिया, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग श्री पंकज सांवले, एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

24 घंटे में प्रात: 08 बजे तक 19 .63 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

झाबुआ, अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले में बीते 24 घंटे में प्रात: 08 बजे तक 19 .63 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। तहसीलवार झाबुआ में 16 .20 मि.मी, रामा में 17 .10 मि.मी, राणापुर में 7 .10 मि.मी, मेघनगर में 24 .00 मि.मी, थान्दला में 21 .80 मि.मी, पेटलावद में 31 .60 मि.मी कुल 117 .80 मि.मी वर्षा हुई।

जिले में 01 जून से 31 अक्टूबर 2025 प्रात: 8 बजे तक 1058 .12

युवती को शादी का झांसा देकर युवक ने अपने घर रखा , हुई मौत

▶ युवती के परिवारजनों के साथ की मारपीट, अचानक हुई युवती की मौत

झाबुआ। जिले के कल्याणपुरा की रहने वाली युवती को झाबुआ के किशनपुर में रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर अपने घर पर रखा। युवक पहले से विवाहित होने के बावजूद उसने दूसरी शादी की बात कहकर युवती को अपने घर पर रखा। इस बीच युवती के परिवारजनों द्वारा लड़की को लेने के लिए जाने पर उनके साथ युवक के परिजनों ने मारपीट भी की। युवती की बीती रात मृत्यु हो गई। इस मामले में लड़की के परिवारजनों ने लड़के के परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है।

पूरा मामला इस प्रकार है कि कल्याणपुरा निवासी देविका पिता भूरालाल लश्कर उम्र 19 वर्ष विगत 4 माह पूर्व प्रेम प्रसंग में फंसकर झाबुआ के किशनुपरी में रहने वाले बंटी पीठवा नामक लड़के के साथ रहने लगी, जबकि बंटी पीठवा पूर्व से विवाहित होकर उसकी पत्नि उसके साथ निवासरत है, बावजूद दूसरी लड़की से प्रेम-प्रसंग कर उसे 4 महीने तक अपने घर पर रखा गया। जब लड़की का भाई अमृत लश्कर अपनी बहन को लेने बंटी के किशनुपरी स्थित निवास पर पहुंचा, तो बंटी और उसके परिवारवालों ने मिलकर अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। लड़की के पिता भूरालाल लश्कर ने बताया कि विगत 4 माह पूर्व उनकी लड़की अचानक से लापता होने पर प्रथम दृष्टया गुमशुदगी की रिपोर्ट गृह क्षेत्र कल्याणपुरा थाने पर दर्ज करवाई गई। वहीं झाबुआ के किशनुपरी में लड़की के भाई अमृत के साथ मारपीट किए जाने पर की रिपोर्ट झाबुआ थाने पर दर्ज करवाई गई। लड़की के भाई अमृत लश्कर ने बताया कि मारपीट की रिपोर्ट पुलिस थाना झाबुआ पर करने के बावजूद पुलिस ने आश्वासन देने के अलावा लड़के के परिजनों और उसके परिवारवालों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

पीएम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी- - मृतिका देविका का जिला चिकित्सालय में पीएम करवाया गया है। पीएम रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। आरसी भास्करे, थाना प्रभारी, पुलिस थाना झाबुआ।

बुखार का बहाना बनाकर हत्या कर दी गई

घटनाक्रम में लड़की के पिता भूरालाल लश्कर एवं भाई अमृत लश्कर का आरोप है कि पिछले 3 दिन पूर्व बंटी के परिवारवालों का उनके पास फोन आया और कहा गया कि देविका की तबीयत हमेशा खराब रहती है। उसे 3-4 दिनों से अत्यधिक सर्दी-जुखाम और बुखार है। ऐसा कहकर लड़की को ले जाने की बात कहीं। इसी बीच बीती रात उसकी मृत्यु हो गई। पिता भूरालाल एवं भाई अमृत का आरोप है कि बंटी एवं उसके परिवारवालों ने देविका के साथ मारपीट की है और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। इस कथन पर झाबुआ पुलिस द्वारा देविका का 31 अक्टूबर, शुक्रवार सुबह जिला चिकित्सालय में पीएम करवाया गया।

सर्व ब्राह्मण समाज का दीवाली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव

झाबुआ. शिव परशुराम धाम सेवा समीति सर्व ब्राह्मण समाज झाबुआ के सानिद्ध में ब्राह्मण समाज का दीवाली स्नेह मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन शिवपरशुराम धाम शिव वाटिका में कल दिनांक 31 अक्टूबर बुधवार को प्रात: 11 बजे रखा हुआ है आयोजन समीति वरिष्ठ सदस्यों ने बताया की झाबुआ नगर मे एक मात्र भगवान परशुराम जी का मंदिर बनकर एक वर्ष पूर्ण हुआ है ।

मंदिर समीति की ओर से ब्राह्मण समाज का पहला अन्नकूट महोत्सव किया जा रहा है ।

सर्व ब्राह्मण समाज के संरक्षक एवं सदस्यों मे प्रमुख पं.शशीकांत मिश्रा जी, पं ललित जी त्रिवेदी , पं. मनोज शर्मा काका जी , पं राजेश शर्मा बाली इलेक्ट्रानिक्स , पं राजकुमार देवल , पं सतीष जी मिश्रा ‚ ञह ̒ , अध्यक्ष प्रदीप जी शर्मा , उपाध्यक्ष संगीत त्रिवेदी कोषाध्यक्ष देवयानी नायक सदस्य दिनेश पालीवाल , धर्मेन्द जी नागर हिमांशू भट्ट , हिमांशु त्रिवेदी ने समाज बन्धुओं को सपरिवार पधारने हेतु सादर आमंत्रित किया ।

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन

झाबुआ, शुक्रवार को देश के लौह पुरुष सरदार श्री वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर झाबुआ जिले सहित पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में झाबुआ जिले के सभी पुलिस थाना स्तर पर प्रात: 8:00 बजे 卐एकता दौड़卐 (ऋह्ठ द्धश्नह्व ठ्ठद्ब्ल4) का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजन झाबुआ राजवाड़ा परिसर से प्रारंभ हुआ, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया एवं पुलिस अधीक्षक शिव दयाल सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को 卐राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ卐 दिलाई गई।

तत्पश्चात कैबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया एवं पुलिस अधीक्षक शिव दयाल सिंह ने 卐एकता दौड़卐 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ राजवाड़ा से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, जेल चौराहा होते हुए पुलिस लाइन पर संपन्न हुई।

कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री भानू भूरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीओपी झाबुआ सुश्री रूपरेखा यादव, डीएसपी श्री कमलेश शर्मा, जिले के गणमान्य नागरिकगण तथा पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे एवं एकता दौड़ में सम्मिलित हुए।

इस आयोजन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के प्रति समर्पण भाव को सुदृढ़ करना रहा।

प्रतिबंधित मार्ग पर सुबह : 07 :00 बजे से रात्रि 08 :00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

▶ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने शहरी क्षेत्र झाबुआ में ट्रक/भारवाहक वाहनों के प्रवेश को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से पूर्णत: प्रतिबन्धित किया

झाबुआ,कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ नेहा मीना ने (म.प्र.) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्गों पर ट्रक/भारवाहक वाहनों के झाबुआ शहर में प्रवेश को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से पूर्णत: प्रतिबन्धित किया। स्थान एवं प्रतिबंधित मार्ग पर प्रात: 07 :00 बजे से रात्रि 08 :00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिसमें *भोयरा रोड़ अमृत आर ओ वाटर प्लांट-* कुंदनपुर व पिटोल से आने वाले भारी वाहन, *करड़ावद हनुमान मंदिर-* गुजरात, दाहोद, पिटोल, थान्दला व मेघनगर मार्ग से आने वाले भारी वाहन, *रंगपुरा अंडर ब्रिज हाईवे-* कल्याणपुरा, रायपुरिया, पेटलावद, रतलाम व बदनावर मार्ग से आने वाले तथा पारा व बोरी से आने वाले भारी वाहन, *पारा फाटा झाबुआ-* कालीदेवी, सरदारपुर, धार व इंदौर से आने वाले भारी वाहन तथा पारा व बोरी से आने वाले भारी वाहन एवं *राणापुर रोड पर महर्षि त्रिपुरा नर्सिंग कॉलेज तिराहा-* राणापुर, जोबट, आलीराजपुर, बड़वानी व छोटा उदयपुर (गुजरात) से आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि शहरी क्षेत्र झाबुआ में जनवरी 2025 से वर्तमान तक लगभग 40 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। कस्बा झाबुआ में भारी वाहनों के कारण जाम लगना, आम जनता एवं स्कूल के बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। शहर में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से प्रात: 07 :00 बजे से रात्रि 08 :00 बजे तक कस्बा झाबुआ (शहरी क्षेत्र झाबुआ) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिबन्ध से मुक्त वाहन-* यह प्रतिबन्ध केवल भारवाहनों के लिए लागू है। शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप गतिसीमा अधिकतम 40 कि.मी. प्रति घण्टा तथा दोपहिया वाहन यथावत पूर्ववत् आवागमन कर सकेंगे। आपातकालीन एवं मूलभूत सुविधाओं में संलग्न वाहन जैसे फायरबिग्रेड, नगर निगम की सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, सेना के वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन, कृषि उपज मण्डी में लगे वाहन, यात्री बसें, स्कूल वाहन/बसें, दुग्धवाहन, पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, एलपीजी गैस जो शहर के भीतर ही स्थित प्रतिष्ठानों पर लोडिंग-अनलोडिंग करेंगे, को प्रतिबंधित समय में शहरी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी साथ ही उक्त भारी वाहनों के लिए शहरी क्षेत्र में गतिसीमा अधिकतम 20 कि.मी. प्रतिघण्टा रहेगी।

किसी विशेष भारी वाहन को विशेष परिस्थितियों में शहर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा दी जा सकेगी। प्रतिबंधित घोषित किये गये क्षेत्र में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 116 के अन्तर्गत नियमों का पालन कराये जाने हेतु उक्त मार्गों के प्रवेश स्थान पर आवश्यक सूचना एवं समुचित यातायात चिन्ह लगवाये जाये। आदेश का क्रियान्वयन यातायात पुलिस की तैनाती करते हुए भारी वाहनों के प्रवेश को रोका जाए। उक्त आदेश 31 अक्टूबर 2025 से 30 नवम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

एक नजर ▶ **झाबुआ जिले की राजस्व सीमा हेतु आदेशित किया है**

कलेक्टर द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

झाबुआ. कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ध्वनि विस्तारक य ं त्रा ों (लाउडस्पीकर/डीजे/बैण्ड/प्रेशर हान) के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर नियंत्रण हेतु जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर नियंत्रण जनहित में आवश्यक है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 2 (ग) में जिला दण्डाधिकारी को जिले की सीमा में उक्त नियमों को लागू करने हेतु प्राधिकारी बनाया गया हैं। अत: इस प्ररिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने ध्वनि द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (1) (2) के तहत् झाबुआ जिले की राजस्व सीमा हेतु आदेशित किया है कि:-

1- झाबुआ जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव/आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा।

2- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेडयूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा।

3- रात्रि समय 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डी.जे., बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिश: सूचना दी जाना संगत नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश 30 अक्टूबर 2025 से 30 दिसम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तारतम्य में आम जन को इस तथ्य से अवगत कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि 14 फरवरी 2000 को केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सार्वजनिक स्थलों में विभिन्न स्त्रोतों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 को अधिनियमित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ जबलपुर द्वारा ध्वनि प्रदुषण नियंत्रण के संबंध में जारी निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये है। यह नियम म.प्र. राज्य में भी लागू है। शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, डी.जे. बैण्ड इत्यादि के प्रयोग से ध्वनि का स्तर बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उल्लघंन के संबंध में उच्चतम न्यायालय, खण्डपीठ ने ध्वनि प्रदूषण पर फैसला देते हुए लाउडस्पीकरों और हार्न के यहां तक कि निजी आवासों में भी इस्तेमाल पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लाउडस्पीकरों, वाहनों आदि से उत्पन्न होने वाले शोर आदि को भी कवर किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथासंशोधित के नियम 3(1) व 4(1) के अनुसार नियमावली के शेड्यूल में *‚mbient Air Quality Standards ÂÎ respect of Noice Pollution* के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है, जो निम्नवत है:-

औद्योगिक क्षेत्र में प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 75 डेसीबल, रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक 70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 65 डेसीबल, रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक 55 डेसीबल, आवासीय क्षेत्र में प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 55 डेसीबल, रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक 45 डेसीबल, शांत क्षेत्र में प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक 50 डेसीबल, रात्रि 10:00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक 40 डेसीबल निर्धारित की गई है।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गत् वर्षों में समय-समय पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों क्रमश: शांत क्षेत्र, रहवासी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में परिवेशीय ध्वनि मापन का कार्य किया गया तथा यह पाया गया हैं कि उक्त क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर मानक सीमा से अधिक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आगामी त्यौहारों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर एवं डी.जे. इत्यादि के प्रयोग से ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है एवं म.प्र. शासन, गृह विभाग वल्लभ भवन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के निर्देश प्राप्त हुए है।

सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर आरोपी का पहचान कर पुलिस ने दबिश दी

झाबुआ। शहर के कस्तूरबा मार्ग में 31 अक्टूबर, शुक्रवार शाम करीब पौने 5 बजे दो लड़के किराना दुकान पर ग्राहक बनकर आए और दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाईकिल और दुकान के ओटले पर रखा एक तेल का डिब्बा चुराकर फरार हो गए। उक्त घटना दुकान के समीप सीसीटीव्ही कैमरे में कैद हो गई। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर आधे घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफतार करने के साथ उनसे मोटरसाईकिल और तेल का डिब्बा भी बरामद कर लिया गया। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी आरसी भास्करे ने बताया कि फरियादी नितीन पिता अशोक सोनी, जिनकी कस्तूरबा मार्ग में किराना दुकान है। दुकान के बाहर मोटरसाईकिल एमपी-45, जेडजी-8742 खड़ी थी। शुक्रवार शाम करीब पौने 5 बजे ग्राम फुटिया विकासखंड झाबुआ के दो लड़के नारू पिता तोलिया बारिया एवं एक अन्य नाबालिग लड़का आए और किराना दुकान से तंबाकू का पाऊच लेने के बहाने दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाईकिल और ओटले पर रखा तेल का डिब्बा चुराकर भाग गए। समीप लगे सीसीटीवही कैमरे के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और आधे घंटे के अंदर नारू एवं अन्य नाबालिग आरोपी को गिरफतार कर उसने चोरी की मोटरसाईकिल एवं तेल का डिब्बा बरामद कर पुलिस थाने पर लाकर चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी श्री भास्करे ने बताया कि आरोपियों से फिलहाल पूछताछ जारी है।